एलुमिनिम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एलुमिनिम उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984

(1984 का अधिनियम संख्यांक 43)

[2 जून, 1984]

एलुमिनिम और एलुमिनिम से बने उत्पादों के, जो समुदाय की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, उत्पादन को जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) के समीप जे०के० नगर में स्थित उपक्रम के संबंध में एलुमिनिम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अंतरण करने और संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

एलुमिनिम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का उपक्रम, जो जे०के० नगर, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) के समीप स्थित है, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कंपनी है, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची के अधीन आने वाले एलुमिनिम और एलुमिनिम से बने उत्पादों के उत्पादन में लगा हुआ था ;

और प्रचालन दक्षता के क्षय के फलस्वरूप, घोर वित्तीय अनौचित्य, सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में असफलता और अन्य कारणों से, कंपनी को उक्त उपक्रम को 1973 में बंद करना पड़ा था ;

और 1975 से केंद्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार ने ऐसे कर्मकारों का, जिन पर उक्त उपक्रम के बंद हो जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पुनर्वास करने की दृष्टि से तथा एलुमिनिम और एलुमिनिम से बने उत्पादों के प्रदाय में वृद्धि के लिए भी उक्त उपक्रम को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रयत्न किए थे और ये प्रयत्न सफल नहीं हुए क्योंकि कंपनी की समस्त पूंजी, बकाया दायित्वों में समाप्त हो गई थी और प्रबंधतंत्र किन्हीं और निधियों का विनिधान करने के लिए रजामंद नहीं था ;

और उक्त उपक्रम को पुन: चालू करने की दृष्टि से, उक्त उपक्रमों के प्रबंध को, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा 1 मई, 1978 को ग्रहण कर लिया गया था ;

और संयंत्र तथा मशीनरी और अन्य उपस्कर की स्थिति और उसकी प्रचालन दक्षता में पहले से ही हुए घोर क्षय के कारण केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के बावजूद भी, उपक्रम, समक्ष होने में या अपनी क्षमता के उचित उपयोग के लिए आवश्यक निधियां जुटाने में समर्थ नहीं हो सका ;

और पुनर्वास तथा प्रमुख उपस्कर के प्रतिस्थापन के लिए पर्याप्त धनराशियों के अतिरिक्त विनिधान की आवश्यकता है और कंपनी को गंभीर प्रतिकूल वित्तीय स्थिति और उपक्रम की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, कंपनी ऐसे विनिधान के लिए आवश्यक निधियां प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है ;

और एलुमिनिम और एलुमिनिम से बने उत्पादों के, जो समुदाय, विशेषकर औद्योगिक और पावर सेक्टरों की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं, उत्पादन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसा विनिधान करना आवश्यक है ;

और ऐसा विनिधान, उक्त उपक्रम में नियोजित कर्मकारों के निरंतर नियोजन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है ;

और केंद्रीय सरकार को ऐसा विनिधान करने में समर्थ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त उपक्रम द्वारा एलुमिनिम और एलुमिनिम से बने उत्पादों का उत्पादन जारी रखने से जन साधारण का हित साधन होता रहे, लोक हित में उक्त उपक्रम का अर्जन करना आवश्यक है ;

और ऐसा अर्जन, संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ;

अंत: भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एलुमिनिम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एलुमिनिम उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) कंपनी के संबंध में "एलुमिनिम उपक्रम" से कंपनी का उपक्रम अभिप्रेत है जो जे०के० नगर, आसनसोल (पश्चिमी बंगाल) के समीप स्थित है और जो भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के तारीख 1 मई, 1978 के आदेश में का० आ० 293 (ई)/18ए०ए०/आई०डी०आर०ए०/78 में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम है ;

(ख) "नियत दिन" से इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) "भारत एलुमिनिम कंपनी" से भारत एलुमिनिम कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में है ;

(घ) "आयुक्त" से धारा 14 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ङ) "कंपनी" से एलुमिनिम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 7, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार उस उपबंध के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कंपनी के एलुमिनिम उपक्रम का अर्जन और अंतरण

3. कंपनी के एलुमिनिम उपक्रम का केंद्रीय सरकार को अंतरण और उसमें निहित होना—नियत दिन को कंपनी के एलुमिनिम उपक्रम और उस उपक्रम के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केंद्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के एलुमिनिम उपक्रम के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत उपक्रम से संबंधित सभी संपत्ति और आस्तियां (जिनमें भूमियां, खदानें, खानें, भवन, कार्यालय, कारखाने, कर्मशालाएं स्टोर, संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर प्रतिष्ठापन, उपकरण, प्रयोगशालाएं, कार्यालय फर्नीचर, लेखन सामग्री और उपस्कर, यान, कर्मचारिवृन्द क्वार्टर, कर्मकार कालोनियां उससे संबंधित सुविधाओं और प्रतिष्ठापनों सहित, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बहियां और बही-ऋण, अधिकार, पट्टा-धृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार सम्मिलित हैं) और ऐसी संपत्ति और आस्तियों में या उनसे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हैं और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी संपत्ति और आस्तियां, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी संपत्ति या आस्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करता है या जो ऐसी समस्त संपत्ति या आस्तियों या उनके किसी भाग की बाबत कोई रिसीवर नियुक्त करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) ऐसी किसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार और ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का बंधकदार या ऐसी किसी संपत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति धारा 7 और धारा 8 में निर्दिष्ट रकमों में से बंधक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का

हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित ऐसी किसी संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) ऐसे किसी एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को नियत दिन के पूर्व किसी समय अनुदत्त और उस दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, उक्त उपक्रम के सबंध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होने की तारीख से ही कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत उसे अनुदत्त की गई हो और ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत को वह उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए कंपनी उसके निबंधनों के अनुसार उसे धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, ऐसी किसी संपत्ति या आस्ति के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लंबित है तो एलुमिनिम उपक्रम के अंतरण या इस अधिनियम की किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है, वहां उस कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी, या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. पूर्व दायित्वों के लिए केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में कंपनी का प्रत्येक दायित्व कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा तथा केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं वहां उस कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि—

(क) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में कोई दायित्व केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित है वहां उस कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए ऐसे किसी मामले, दावे या विवाद के बारे में उस दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा;

(ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए, नियत दिन के पूर्व कंपनी द्वारा उपगत कोई दायित्व, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित है, वहां उस कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. एलुमिनिम उपक्रम का भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होना—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, निदेश देगी कि एलुमिनिम उपक्रम और उस उपक्रम के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केंद्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय अधिसूचना की तारीख को या ऐसी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, उपधारा (1) के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां भारत एलुमिनिम कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में स्वामी समझी जाएगी और उस एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में केंद्रीय सरकार के सभी अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, भारत एलुमिनिम कंपनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकमों का संदाय—केंद्रीय सरकार एलुमिनिम उपक्रम का और उस उपक्रम के संबंध में कंपनी के अधिकार, हक और हित का धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार को अंतरण करने और उन्हें उसमें निहित करने के लिए कंपनी को चार करोड़ चौबीस लाख रुपए की रकम, नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से देगी ।

8. अतिरिक्त रकमों का संदाय—(1) केंद्रीय सरकार कंपनी को एलुमिनिम उपक्रम के प्रबंध से वंचित किए जाने के लिए दो हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास की दर से संगणित नकद रकम, उस तारीख से, जिसको एलुमिनिम उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रहण किया गया था, प्रारंभ होने वाली और नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए देगी ।

(2) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संगणित रकम पर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, नियत दिन से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवधारित रकमें कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट है ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसे एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी के दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम में से भी किया जाएगा ।

अध्याय 4

एलुमिनिम उपक्रम का प्रबंध आदि

9. एलुमिनिम उपक्रम का प्रबंध आदि—एलुमिनिम उपक्रम के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबंध, जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है वहां भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित होगा और तक भारत एलुमिनिम कंपनी, सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने की हकदार होगी जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को करने के लिए कंपनी ऐसे उपक्रम के संबंध में प्राधिकृत है ।

10. निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति—केंद्रीय सरकार, भारत एलुमिनिम कंपनी को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और भारत एलुमिनिम कंपनी भी, यदि वह ऐसा करना चाहती है तो केंद्रीय सरकार को किसी भी समय ऐसी रीति के बारे में जिससे एलुमिनिम उपक्रम का प्रबंध उसके द्वारा संचालित किया जाएगा या ऐसे प्रबंध के अनुक्रम में उत्पन्न किसी अन्य विषय के संबंध में अनुदेशों के लिए आवेदन कर सकेगी ।

11. व्यक्तियों का अपने कब्जे में की आस्तियों आदि का लेखा-जोखा देने का कर्तव्य—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में नियत दिन को एलुमिनिम उपक्रम से, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित हो गया है, संबंधित कोई आस्तियां, बहियां, दस्तावेजें या अन्य कागजपत्र हैं, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को उक्त आस्तियों, बहियों, दस्तोवजों या अन्य कागजपत्रों का लेखा-जोखा देने के लिए दायी होगा और वह उन्हें केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी एलुमिनिम उपक्रम का, जो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित हो गया है, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी या उठवा सकेगी ।

(3) कंपनी, ऐसी अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे, उस सरकार को एलुमिनिम उपक्रम से, जो धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हो गया है, संबंधित नियत दिन को यथाविद्यमान अपनी सभी संपत्ति और आस्तियों की पूर्ण सूची देगी और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी उस कंपनी को सभी उचित सुविधाएं देगी ।

अध्याय 5

कंपनी के कुछ कर्मचारियों के संबंध में उपबंध

12. कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व एलुमिनिम उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा; और

(ख) जहां एलुमिनिम उपक्रम धारा 6 के अधीन भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है वहां ऐसे निहित होने की तारीख से ही उस कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और पेंशन, उपदान तथा अन्य बातों के बारे में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप में समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, एलुमिनिम उपक्रम में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को

अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

13. भविष्य निधि और अन्य निधियां—(1) जहां कम्पनी ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या कल्याण निधि या अन्य विधि स्थापित की है वहां कंपनी के ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में, नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को अंतरित हो जाती हैं, उस सरकार या उस कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

14. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: न कि प्राधिकार के रूप में प्रदान की गई हों ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

15. केंद्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केंद्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर, उतनी रकम नकद देगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के और धारा 8 के अधीन कंपनी को संदेय रकमों के बराबर है ।

(2) केंद्रीय सरकार, भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम, उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त, एलुमिनिम उपक्रम की बाबत, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन संदाय किए गए हैं, अभिलेख रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

16. केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया ऐसा कोई धन, जो कंपनी को एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में शोध्य है, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार, इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंधित है ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के संबंध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में एलुमिनिम उपक्रम से संबंधित कंपनी के किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिए केंद्रीय सरकार या कंपनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है, जिसके संबंध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी द्वारा किया गया है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में किसी संव्यवहार की बाबत कंपनी के ऐसे दायित्व जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

17. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध उस एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर, दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

18. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में उद्‌भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग 1 को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग 2 को प्रवर्ग 3 पर अग्रता दी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए अपर्याप्त है तो वे समान अनुपात में कम कर दिए जाएंगे और तदनुसार उनका संदाय किया जाएगा ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तब उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

19. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 17 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकता क्रम में क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम के अनुसार उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत किसी दावे की परीक्षा करे ।

20. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई तारीख नियत करेगा जिसको या जिसके पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख की कम से कम चौदह दिन की सूचना देश के अधिकांश भाग में परिचालित अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में और ऐसी प्रादेशिक भाषा के ऐसे दैनिक समाचारपत्र के एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत विज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयुक्त के समक्ष फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात्, जो उसकी राय में आवश्यक है, और कंपनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को, अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्‌भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अंतर्गत वह या वे स्थान हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है, उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील, आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परंतु जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील ऐसे उच्च न्यायालय को होगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा में ऐसा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, और वह अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

21. आयुक्त द्वारा दावेदारों को रकम का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकम शोध्य है और ऐसा संदाय किए जाने पर ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

22. कंपनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि धारा 15 के अधीन आयुक्त को संदत्त धनराशियों में से, अनुसूची में यथानिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात्, कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।

(2) जहां कोई मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी में निहित हो गया है किंतु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति उस कंपनी की नहीं है वहां केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बनाए रखे, जिनके अधीन वह नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के कब्जे में थी ।

23. असंवितरित या अदावाकृत रकम का साधारण राजस्व खाते में अंतरित किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से, जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तारीख को असंवितरित या अदावाकृत रहता है तो आयुक्त अपने पद के अंतिम रूप से परिसमापन के पूर्व उसे केंद्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अंतरित करेगा किन्तु इस प्रकार अंतरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केंद्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस संबंध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अंतरण न किया गया हो और दावे के संदाय के लिए आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

25. केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी के अनुसमर्थन के अभाव में एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—कंपनी द्वारा एलुमिनिम उपक्रम के संबंध में किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति से ही प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक कि ऐसी संविदा का उस अवधि की समाप्ति के पूर्व, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी, लिखित रूप में अनुसमर्थन नहीं कर देती है और केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में, उसमें ऐसे परिवर्तन या उपांतरण कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परंतु, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप और संविदा में कोई परिवर्तन या उपांतरण तभी करेगी जब—

(क) उसका यह समाधान हो गया हो कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपांतरण करने के अपने कारणों को लेखबद्ध कर दिया गया हो ।

26. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) एलुमिनिम उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति या आस्तियों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी से ऐसी संपत्ति या आस्तियों को, सदोष विधारित करेगा; या

(ख) एलुमिनिम उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति या आस्तियों का कब्जा सदोष अभिप्राप्त या प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) उस उपक्रम से संबंधित ऐसी किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, जानबूझकर विधारित करेगा अथवा केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को अथवा उस सरकार या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा; या

(घ) एलुमिनिम उपक्रम से संबंधित ऐसी किसी संपत्ति, आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी को अथवा उस सरकार या कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा; या

(ङ) एलुमिनिम उपक्रम की भागरूप किसी संपत्ति या आस्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई दावा करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि वह मिथ्या या बिल्कुल गलत है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

27. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उन कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी अथवा उस सरकार या उस कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा उस सरकार या उस कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या भारत एलुमिनिम कंपनी अथवा उस सरकार या उस कंपनी के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा उस सरकार या उस कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

29. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जो इस धारा, या धारा 30 या धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हैं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) जब कभी उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केंद्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

30. नियम बनाने की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन कोई सूचना आयुक्त को दी जाएगी ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 13 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा धनराशियों की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

31. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची

[धारा 18, धारा 19(1), धारा 20(1) और धारा 22(1) देखिए]

एलुमिनिम उपक्रम के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकता क्रम

प्रवर्ग 1

असंदत्त वेतन और मजदूरी मद्धे कर्मचारियों को शोध्य धन, कंपनी और कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में किए जाने वाले अभिदाय, भारतीय जीवन बीमा निगम सं संबंधित प्रीमियम और केंद्रीय सरकार द्वारा एलुमिनिम उपक्रम के प्रबंध-ग्रहण के पूर्व या उसके पश्चात् की किसी अवधि की बाबत कर्मचारियों को शोध्य अन्य रकमें ।

प्रवर्ग 2

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए उधार ।

प्रवर्ग 3

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए उधार ।

प्रवर्ग 4

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के दौरान व्यापार या विनिर्माण संबंधी संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई ऋण ।

प्रवर्ग 5

प्रबंध-ग्रहण के पश्चात् की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए कोई अन्य उधार ।

प्रवर्ग 6

प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए प्रतिभूत उधार ।

प्रवर्ग 7

ऐसे किसी संव्यवहार के संबंध में जो प्रबंध-ग्रहण के पूर्व की अवधि के दौरान किया गया था, अप्रतिभूत उधारों या लेनदारों को अन्य शोध्य धन ।

प्रवर्ग 8

केंद्रीय सरकार द्वारा एलुमिनिम उपक्रम के प्रबंध-ग्रहण के पूर्व या उसके पश्चात् की किसी अवधि की बाबत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों या राज्य विद्युत् बोर्ड को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य धन ।

———